

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-06/अ0-03-04/2015

पटना, दिनांक—

श्री पंकज कुमार प्रसाद, राज्य-कर विशेष आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-06.06.2026 एवं 07.06.2026 को क्रमशः घोषित शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश का उपभोग करने की अनुमति एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-08.06.2026 से 21.06.2026 तक कुल 14 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री प्रसाद के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त $(300-14=286)$ (दो सौ छियासी) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 06/अ0-03-04/2015 2053

/पटना, दिनांक-04/06/26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री पंकज कुमार प्रसाद, राज्य-कर विशेष आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।